

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत
आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 1018/2026**

वैभव सिंह

...प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ एवं एक अन्य

...विरोधी पक्षकार(गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता	: - उपेन्द्र कुमार सिंह
विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता	:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -3**माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार**

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिये विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री आलोक सिंह को सुना।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 482 के अंतर्गत यह प्रार्थनापत्र थाना - कोतवाली नगर, जिला -बलरामपुर में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 316(2), 316(5), 319(2), 318(4), 337, 338, 336(3) और 340(2) के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 197/2025 में अग्रिम जमानत की प्रार्थना करते हुए दाखिल किया गया है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका की पोषणीयता के संबंध में एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई है। यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी की पूर्व अग्रिम जमानत याचिका, जो कि 'आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1853/2025' थी, का निस्तारण आदेश दिनांक 12.01.2026 द्वारा कर दिया गया था। विद्वान अपर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शासकीय अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त याचिका को वापस लेते समय, प्रार्थी ने नियमित जमानत याचिका दायर करने की स्वतंत्रता मांगी थी और उसे यह स्वतंत्रता दी गई थी। हालांकि, उक्त उपचार का लाभ उठाने के बजाय, प्रार्थी ने उन्हीं आधारों पर यह दूसरी अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिससे वर्तमान याचिका पोषणीय नहीं रह जाती है।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी एक आदतन अपराधी है, जिसका वर्तमान मामले सहित 17 मामलों का आपराधिक इतिहास है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह भी बताया कि यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 15.08.2025 को थाना कोतवाली नगर, जिला बलरामपुर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2), 316(5), 319(2), 318(4), 337, 338, 336(3) और 340(2) के अंतर्गत दर्ज की गई थी। यह निवेदन किया गया है कि दो सह-अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, जबकि वर्तमान प्रार्थी के असहयोग के कारण उसके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया जा सका। प्रार्थी विधि की प्रक्रिया से बच रहा है और फरार प्रतीत होता है। इन आधारों पर यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

इसके उत्तर में, प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि सह-अभियुक्त पूनम सिंह और संतोष गुप्ता को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2025 के आदेशों के अंतर्गत अग्रिम जमानत दी जा चुकी है और उन आदेशों की प्रतियां वर्तमान याचिका के अनुलग्नक संख्या 7 और 8 के रूप में अभिलेख पर प्रस्तुत की गई हैं। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी भी समानता के लाभ का हकदार है।

उपरोक्त तर्क का उत्तर देते हुए, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता का कहना है कि उक्त सह-अभियुक्तों का मामला पूर्ण रूप से भिन्न आधार पर स्थित है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें अग्रिम जमानत मुख्य रूप से इस आधार पर दी गई थी कि वे महिलाएं हैं। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता आगे बताते हैं कि पूनम सिंह के पक्ष में पारित अग्रिम जमानत आदेश में, वर्तमान प्रार्थी वैभव सिंह को सौंपी गई भूमिका का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि शाखा प्रबंधक सह-अभियुक्त महेश त्रिपाठी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा पूनम सिंह और संतोष गुप्ता के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया था। हालांकि, अपने बयान में, महेश त्रिपाठी ने स्पष्ट रूप से वर्तमान प्रार्थी पर एक विशिष्ट भूमिका का आरोप लगाया है, जो उसके मामले को अग्रिम जमानत पाने वाले सह-अभियुक्तों से अलग करता है।

अभिलेख का परिशीलन किया गया, साथ ही वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका के अनुलग्नक संख्या 12 में निहित दिनांक 12.01.2026 के पूर्व अस्वीकृति आदेश और वर्तमान मामले सहित 17 आपराधिक मामलों वाले प्रार्थी के लंबे और जटिल आपराधिक इतिहास का भी परिशीलन किया गया।

दिनांक 12.01.2026 के पूर्व आदेश के परिशीलन से पता चलता है कि प्रार्थी द्वारा दायर पहली अग्रिम जमानत याचिका इस स्वतंत्रता के साथ वापस ली गई थी कि वह उपयुक्त न्यायालय के समक्ष नियमित जमानत की मांग कर सकता है। ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बावजूद, प्रार्थी ने नियमित जमानत याचिका दायर न करने का विकल्प चुना है और इसके बजाय यह दूसरी अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की है। इस प्रकार का आचरण, 17 आपराधिक मामलों में संलिप्त प्रार्थी के लंबे आपराधिक इतिहास पर विचार करने पर, उसे अग्रिम जमानत का अनुतोष प्राप्त करने के लिये अयोग्य ठहराता है।

उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत, यह न्यायालय वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति में बल है। तदनुसार, वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका *खारिज* की जाती है।

(न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार)

8 जून, 2026

आर.सी.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।